न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 63/2022

उनवान

1–3 मु. कमला, मु. चांदी, मु. प्रेम पुत्री गोकल तेली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
4– मु. प्रेमदेवी बेवा लादू तेली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
5– मिश्री पिता गोकल तेली निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा
6–8 रामस्वरूप, सम्पत, मु. मंजु पिता लादू तेली निवासी शाहपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1– लादू पिता उंकार रेगर निवासी उदयभान गेट के बाहर, नहर के पास, शाहपुरा
2– नन्दलाल पिता लादू तेली निवासी उम्मेद सागर चौराहा, शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– 1– श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– रामप्रसाद जाट : अधिवक्ता विपक्षी सं. 2
3– कमेलश कुमार मुण्डेतिया : अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 03/01/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 8811 रकबा 0.13 है0** कुल किता 1 रकबा **0.13** हैक्टेयर के **प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थीगण** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.04.2022 को विपक्षी सं. 01 की ओर से अभिभाषक श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया एवं विपक्षी सं0 02 की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद जाट द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किये गये एवं जवाब हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 03.01.2024 को **विपक्षीगण** को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनके जवाब बंद किये जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थीगण** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **शाहपुरा** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 1 रकबा 0.13 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो **प्रार्थीगण** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/01/2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा